रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– के पी सिटी– 67/2021–23

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निषपक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गज़ट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014
सम्पर्क सूत्र :– 9450153215, 9415074806, 9415486103

वर्ष – 45 ● अंक – 19 एवं 20 ● कानपुर 16 से 31 अक्टूबर 2023 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹ 100

मान्यता के समकक्ष आने के लिये

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने

पाठ्यक्रमों का किया उच्चीकरण

इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये कानून बनाये जाने संबन्धी प्रकरण इस समय एक बार फिर काफी ज़ोरों पर है केन्द्र सरकार इस बात के लिये प्रतिबद्ध है कि शीघ्र ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये कानून बनाये जाने संबन्धी प्रस्ताव पर गंभीरता से चर्चा हो और जो परिणाम आयें उसके आधार पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये कानून की प्रक्रिया को गति प्रदान किया जाये।

वर्तमान में इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो कोर्स संचालित हो रहे हैं उनके पाठ्यक्रम उच्चीकरण की मांग करते हैं जैसा कि पिछले अंकों में आपने पढ़ा होगा कि नई व्यवस्थाओं के तहत जो पाठ्यक्रम विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित किये जा रहे हैं उनकी उपयोगिता और वैधता पर प्रश्न चिन्ह है, देश में विभिन्न संस्थाओं द्वारा जो पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं वह कोई भी वांछित स्तर के समकक्ष नहीं हैं और जो पाठ्यक्रम वांछित स्तर से कम हैं उनका कोई मूल्य नहीं है!

जैसा कि हमने प्रारम्भ में लिखा कि केन्द्र सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कानून बनाने में अपनी प्रतिबद्धता लगातार दिखा रही है और इससे ऐसा लग रहा है कि केन्द्र सरकार शीघ्र ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कानून बनायेगी, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि सरकार जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कानून बनायेगी उस समय कानून बनाने के लिए समिति जो मूल्यांकन करेगी उसका आधार मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियां होंगी, विगत वर्षों में केन्द्र सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी से मान्यता से सम्बन्धित प्रकरण को यह कहते हुए निस्तारित कर दिया था कि किसी भी नई चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने के लिए जिन आवश्यक मापदण्डों की आवश्यकता होती है इलेक्ट्रो होम्योपैथी अभी उसकी पूर्ति नहीं कर रही है, इसलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता नहीं दी जा सकती है, इस उत्तर के आने के बाद जो कुछ भी घटा वह किसी से छुपा नहीं है, जो परिस्थितियां पैदा हुई उससे हम सब भली भांति परिचित हैं, अब एक बार पुनः हमारे सभी साथी मान्यता पाने के लिए तरह–तरह के यत्न कर रहे हैं केन्द्र सरकार का ध्यानाकर्षण करने के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिए जो मांग की जा रही है केन्द्र सरकार इस बिन्दु पर यदि ज़्यादा गम्भीर हो गयी तो शायद वह परिणाम न मिल पावें जो हमें आपेक्षित हैं।

वर्ष 2010 में केन्द्र सरकार द्वारा सभी चिकित्सा पद्धतियों की चिकित्सा और पाठ्यक्रमों को नीतिगत ढंग से निर्धारित करने के लिए जो क्लीनिकल स्टैब्लिशमेन्ट एक्ट लागू किया है (हालांकि यह अधिनियम अभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर प्रभावी नहीं है) उसमें जो–जो बिन्दु शामिल किये गये हैं यदि इलेक्ट्रो होम्योपैथी उन बिन्दुओं को पूरा नहीं करती है तो कम से कम उसके समकक्ष तो आना ही पड़ेगा, किसी भी चिकित्सा पद्धति की मान्यता के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है उस चिकित्सा पद्धति का पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए उसकी अवधि।

सरकार का मानना है कि किसी भी चिकित्सक को पूर्ण ज्ञान कम से कम न्यूनतम 4 वर्ष की अवधि के पाठ्यक्रम से ही सम्भव है उसके बाद कम से कम 6 माह या 1 साल का क्रियात्मक ज्ञान भी लेना आवश्यक है अब जब मान्यता की बात चल ही पड़ी है तो हमें उसकी कसौटी में कसना ही होगा यदि समय रहते हमारे संचालक गणों ने व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया तो! निश्चित मानिये परिणाम कोई अच्छे संकेत नहीं देंगे, आज परिस्थितियां हमारे पक्ष में हैं वातावरण भी कार्य करने का है और सबसे अच्छी बात यह है कि केन्द्र सरकार का रूख भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए सकारात्मक है, इसलिए ऐसे अवसरों का हम सबको लाभ उठाना चाहिये और समय रहते अपनी सारी व्यवस्थायें ठीक कर लेनी चाहिये जो संस्थायें एक वर्ष या 6 महीने का कोर्स चला रही हैं उनको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये कि इतने न्यूनतम अवधि के पाठ्यक्रमों का औचित्य क्या है ? और उनकी वैधानिक स्थिति क्या है ? ऐसा नहीं है कि न्यूनतम अवधि के पाठ्यक्रम नहीं चलते, मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा एक वर्ष और दो वर्ष के सार्टिफिकेट कोर्स चलाये जाते हैं, लेकिन यह कोर्स वही चिकित्सक कर पाता है जिसके पास चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु आवश्यक चिकित्सकीय अर्हता होती है एक वर्ष या दो वर्ष के पाठ्यक्रमों से कोई भी चिकित्सक चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु अर्ह नहीं हो पाता ठीक इसी तरह इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो कोर्स चल रहे है उनके उच्चीकरण की महती आवश्यकता है यदि अभी भी हम लोग सचेत नहीं हुए तो कब होंगे ? यह प्रश्न हर जिम्मेदार संस्था संचालक को स्वयं से करना चाहिये और उसपर गम्भीरता पूर्वक चिन्तन करते हुए भविष्य की रूपरेखा तय करनी चाहिये क्योंकि समय ज्यो ज्यों आगे बढ़ेगा मानकों और मापदण्डो की नकेल हम पर और कसेगी इसलिए समय की मांग के अनुरूप अपनी व्यवस्थाओं में परिवर्तन बहुत आवश्यक है परिवर्तन समय की मांग है यदि यह कार्य हम सब अभी भी नहीं पूरा करते हैं तो निश्चित समझ लें कि हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी के वास्तविक हितैषी नहीं हैं यदि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को आगे बढ़ाना है तो परिवर्तन के साथ आगे बढ़ना होगा।

भारत सरकार द्वारा गठित इन्टर डिपार्टमेन्टल कमेटी हमें यह सोचने के लिये विवश कर रही है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कार्यों का मूल्यांकन किस तरह से करवाया जाये ?

इसके पूर्व 21 जून, 2011 को भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के आदेश संख्या – **C. 30011/22/2010-HR** दिनांक 21–06–2011 द्वारा संदर्भ में आदेशित किया गया है कि भारत के सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ–साथ केन्द्र शासित प्रदेशों के सभी स्वास्थ्य सचिवों को भी निर्देशित किया गया है कि वे अपने – अपने राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में इस आदेश का अनुपालन सुनिश्ति करायें, इस आदेश में केन्द्र सरकार द्वारा अपने पूर्व में दो आदेशों क्रमशः 25–11–2003 एवं 05–05– 2010 को प्रेषित करते हुये स्पष्ट रुप से कहा है कि इन आदेशों को केन्द्र सरकार का निर्देश माना जाये।

ज्ञातव्य हो कि केन्द्र सरकार का 25 नवम्बर, 2003 वही आदेश है जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी सहित सभी गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों की शिक्षा, चिकित्सा एवं प्रैक्टिस के लिये दिशा निर्देश है, 05–05–2010 का आदेश इसकी पुष्टि के लिये जारी किया गया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शिक्षा एवं चिकित्सा पूर्व की भाँति चलती रहेगी बशर्ते आदेश दिनांक 25–11–2003 का पालन हो।

अब यह स्पष्ट है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी शिक्षा एवं चिकित्सा भारत सरकार के आदेश दिनांक 21 जून, 2011 के अनुसार अनवरत तब तक चलती रहेगी जब तक भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कोई नया निर्णय नहीं लेगी, सरकार के इन आदेशों से स्वतः स्पष्ट है कि किसी चिकित्सा पद्धति को मान्यता प्रदान करने हेतु जो मापदण्ड हैं, इन आदेशों के निर्देशानुसार कार्य करने से वह मापदण्ड पूर्ण होते हैं जो सरकार को वांछित हैं।

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा गठित अन्तर विभागीय समिति इस विषय पर गम्भीरता के साथ 28 फ़रवरी, 2017 से निरन्तर विचार कर रही है, जिसकी अनेकों कार्यवाहियों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अब सम्भवतः सरकार की मनशा है कि वह 21 जून, 2011 को जारी आदेश के अनुसार इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति की शिक्षा, चिकित्सा, अनुसंधान एवं विकास के लिये जो आदेश दिया था उसी के आलोक में आगे की रणनीति तय की जायेगी।

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 अपने द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों का उच्चीकरण आरम्भ कर दिया है इसकी पहल फार्मेसी पाठ्यक्रम को उच्चीकृत कर जारी कर दिया है फार्मेसी / फार्मेसिस्ट की कमी वर्षों से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जगत में चली आ रही थी, इस पद्धति की औषधियां इतनी कारगर होने के बावजूद भी पृथक फार्मेसी न होने के कारण अपनी पहचान नहीं बना पा रही है ,बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने उच्चीकरण के इस कार्य में बोर्ड से सम्बंधित व्यक्तियो/चिकित्सकों अन्य विद्वानों से भी सहयोग ले रही है।

परिवर्तित व्यवस्था के अनुसार बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा संचालित C.E.H. पाठ्यक्रम जो पहले 1 वर्षीय था अब उसे दो वर्षीय कर दिया गया है तथा पाठ्यक्रम में फार्मेसी के मानक विषयों एवं पाठ्यक्रम को भी सम्मिलित किया गया है ताकि पाठ्यक्रम फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया के मानक पाठ्यक्रम के समतुल्य हो सके।

विदित हो कि C.E.H.P. पाठ्यक्रम में निर्धारित विषय व Text Books इस प्रकार रखे गये हैं जो किसी भी स्तर से D.Pharma से कम नहीं है।

बदली सोच तो–बदल गये लोग

यह सामान्य सी बात है कि समय के साथ–साथ लोगों की सोच बदलती है परन्तु सोच के साथ जब लोग बदलते हैं तो एक नई व्यवस्था निर्मित होती है।

आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी में सोच के साथ–साथ लोग भी बदलते जा रहे हैं, कुछ वर्षों पहले तक जो लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़े थे और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास के लिये कार्य करते थे उनकी सोच बहुत सकारात्मक हुआ करती थी, विखण्डन या विभाजक भावनाओं का लेश मात्र भी दर्शन नहीं होता था, लेकिन ज्यों–ज्यों समय बदलता गया, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थिति में भी परिवर्तन होने लगा हमारे साथियों के विचारों में व कार्य प्रणाली में आमूल–चूल परिवर्तन होने लगा और इस परिवर्तन में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दिशा व दशा दोनों बदलकर रख दी, पहले भावनाओं में श्रद्धा, समर्पण व कर्तव्य निष्ठा के जो दर्शन होते थे शनैः शनैः उसका लोप होने लगा है हम इस परिवर्तन से न तो विस्मित हैं और न ही अचंभित, यह सत्य है कि आज का युग अर्थ युग है और हर क्रियायें आर्थिक हो रही हैं आर्थिक होना बुरी बात नहीं है, यह कटु सत्य है कि बिना अर्थ के कोई काम सम्भव नहीं है, परन्तु अर्थ से ही सबकुछ सम्भव हो यह भी सत्य नहीं है।

आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने के लिये जिस समर्पण के भाव का होना आवश्यक है उस भाव के दर्शन अब कम होते हैं, आर्थिक क्रियाओं की पूर्ति के लिये हमारे साथियों द्वारा जो येन–केन–प्रकारेण कार्य हो रहे हैं वह इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को जो क्षति पहुँचा रहे हैं यदि समय रहते ऐसे कार्यों पर रोक नहीं लगाई गई तो जो क्षति होगी उसकी भरपाई आसान नहीं होगी। धीरे–धीरे इलेक्ट्रो होम्योपैथी जिस विकास की राह पर आगे बढ़ रही है वहां पर एक सकारत्मक सोच की आवश्यकता है, अधिकार और कर्तव्य के पचड़े में न पड़ते हुये हम सभी को कर्तव्य के पथ पर डट जाना चाहिये और कर्तव्य के द्वारा ही मार्ग में आने वाले प्रत्येक अवरोधों को दूर करते हुये एक नई राह बनानी होगी, इस राह को बनाने के लिये हमें किसी के पहल की प्रतीक्षा नहीं करनी है बल्कि इसे अपना कर्तव्य मानकर प्रारम्भ कर देना है। जो लोग व्यवस्थाओं और अधिकारों का बहाना बना कर कर्तव्य मार्ग से विलग हो रहे हैं यह कदाचित इलेक्ट्रो होम्योपैथी के शुभेक्षु नहीं हैं और न ही ऐसे लोगों से किसी परिवर्तन की आशा की जा सकती है, आज कार्य करने का वातावरण है, अवसर भी है हम सब को इस वातावरण का और इस अवसर का भरपूर लाभ उठाना चाहिये, आप देख ही रहे हैं कि परिस्थितियां पल–पल बदल रही हैं पता नहीं कब ?कहां ?कौन सा ?लाभ हम सब को प्राप्त हो जाये, जिस गति से सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के लिये विचार प्रकट कर रही है, वह इस बात का संकेत दे रही है कि देर–सवेर ही सही इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये अच्छे से अच्छे सन्देश प्राप्त होने हैं परन्तु इन सन्देशों को पाने के लिये सामूहिक प्रयास करने होंगे हमारा दृष्टिकोण रचनात्मक होना चाहिये साथ ही साथ हमारे विश्वास में किन्तु अथवा परन्तु का कोई स्थान नहीं है।

धीरे–धीरे लोगों के विचारों में परिवर्तन हो रहा है कल तक हमारे जो साथी हमारे विचारों से सहमत नहीं दिखते थे आज वही प्रत्यक्ष न सही परन्तु मौन समर्थन तो दे रहे हैं, हमारा दृढ़ विश्वास है कि जो आज मौन हैं कल वे मुखरित भी होंगे और हम प्रसन्न मन से उनके विचारों का स्वागत करेंगे, कारण इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक चिकित्सा पद्धति है इस पर किसी का एकाधिकार नहीं है, जो लोग अपने मन में यह भ्रम पाले हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर हमारा एकाधिकार है उन्हें यह नहीं भूलना चाहिये कि भ्रम जब टूटता है तो बहुत कष्ट होता है। देखा जाये तो वर्चस्व भी ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता है, हर एक की अपनी एक सीमा होती है, सीमा रहित तो कोई होता नहीं है, जिस प्रकार समुद्र भले ही असीमित जलराशि का स्वामी क्यों न हो परन्तु उसकी भी अपनी सीमायें हैं, प्रकाश अन्धकार पर विजय ज़रुर पाता है लेकिन उसकी भी सीमायें हैं ठीक उसी प्रकार हम सबकी भी सीमायें हैं।

इसलिये इन्हीं सीमाओं के अन्दर रहते हुये विकास के कार्य करने हैं।

SYLLABUS OF C.E.H. 2 YEARS COURSE

First Year:

Human Anatomy and Physiology	Introductive Study of Electro homoeopathic remedies
Clinical Pathology	Health Education and Community Pharmacy
Drug Chemistry of Electro Homoeopathy	XX

Second Year:

Pharmacognosy	Pharmacology and Jurisprudence
Hospital & Clinical Pharmacy	Drug Store and Management
Drug Chemistry of Electro Homoeopathy	XX

SUBJECT OF EXAMINATION

First Year:

Human Anatomy and Physiology	Introductive Study of Electro homoeopathic remedies with its Pathology
Drug Chemistry of Electro Homoeopathy	Health Education and Community Pharmacy

SUBJECT OF EXAMINATION

Second Year:

Pharmacognosy	Pharmacology and Jurisprudence
Hospital & Clinical Pharmacy	Drug Chemistry, Drug Store & Management of Electro Homoeopathy

Board of Electro Homoeopathic Medicine, U.P.

8-Lal Bagh, Kamla Sharma Marg, LUCKNOW-226001
Adm.office: 127/204 "S" Juhi, KANPUR-208014
web site: www.behm.org.in Email:registrarbehmup@gmail.com

List of Medical Institutes/Institute

Sr.	Code	Name	District	Principle & Mob.No.
1	01	Ashish Electro Homoeopathic Medical Institute	RAIBARELY	Dr. P. N. Kushwaha 9415177119
2	03	Awadh Electro Homoeopathic Medical Institute	LUCKNOW	Dr. R.K. Kapoor 9335916076
3	05	Bhagwan Mahaveer Electro Homoeopathic Institute	JAUNPUR	Dr. P. K. Maurya 9451162709
4	06	Maa Sarju Devi Electro Homoeopathic Medical Institute	LAKHIMPUR	Dr. R.K. Sharma 9454236971
5	11	Chand Par Electro Homoeopathic Medical Institute	AZAMGARH	Dr. Mushtaq Ahmad 9415358163
6	13	Azad Electro Homoeopathic Medical Institute, Kintoor	BARABANKI	Dr. Habib-ur-Rehman 8574239344
7	15	Electro Homoeopathic Medical Institute	SHAHJAHANPUR	Dr. Ammar-Bin-Sabir 9336034277
8	16	Shahganj Electro Homoeopathic Medical Institute	Shahganj JAUNPUR	Dr. S. N. Rai 9450088327
9	17	Prema Devi Electro Homoeopathic Medical Institute	SIDDHARTH NAGAR	Dr.Ved Prakash Srivastav 9936022029

List of Study Centres

Sr.	Code	Name	District	Principle & Mob.No.
10	52	Deoria E.H. Study Centre	DEORIA	Dr. P. K. Srivastav 9415826491
11	53	Bahraich E.H. Study Centre	BAHRAICH	Dr. Bhoop Raj. Srivastav 9451786214
12	54	Unnao E.H. Study Centre	UNNAO	Dr. Gaurav Dwivedi 9935332052
13	55	Walidpur E.H. Study Centre	Walidpur MAU	Dr. Ayaz Ahmad 9305963908
14	56	Aarti E.H. Study Centre	JALAUN	Dr. Gaya Prasad 8874429538
15	57	B.K. E.H. Study Centre	HAMIRPUR (U.P.)	Dr. N.B.Nigam 7007352458
16	58	Electro Homoeopathic Study Centre	Hasanganj UNNAO	Hakim Mohd. Rashid Hayat 9005680843
17	59	Sirsaganj E.H. Study Centre	Sirsaganj FIROZABAD	Dr. Mohd. Israr Khan 9634503421
18	60	Etawah E.H. Study Centre	ETAWAH	Dr. Mohd. Akhlak Khan 7417775346
19	61	Firozabad E.H. Study Centre	FIROZABAD	Dr. Shiv Kumar Pal 9027342885
20	62	D.L.M.M. Study Centre of E.H.	MAHARAJGANJ	Dr. Prince Srivasta 7398941680
21	63	Kushwaha Study Centre of E.H.	KANPUR	Dr. Ram Autar Kushwaha 9793264649

AUTHORISED STUDY CENTRES OF OTHER STATES

Sr.	Code	Head of Centre	Address	District
22	81	Dr. Devendra Singh Mobile No 9818120565	374/4 Shaheed Bhagat Singh Colony, Karawal Nagar	DELHI-110090

LIST OF AUTHRISED EXAMINATION CENTRES

23	91	Khurja E.H. Examination Centre	Kurja , BULAND SHAHAR	Dr. P. K. Raghav 7505186156

उत्तर प्रदेश शासन

कार्यालय ज्ञाप

संख्या–2914 / पाँच–6–10–23

रिट / 11

दिनांक 04 जनवरी, 2012

में निहित भारत सरकार के आदेश

दिनांक 25 नवम्बर, 2003

के अनुसार

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शिक्षा एवं प्रैक्टिस पर रोक नहीं है, ऐसा ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने अद्यतन आदेश

दिनांक 01–05–2018

में उल्लेख किया है।

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0

द्वारा जनहित में जारी

बी0ई0एच0एम0 के लिए डा0 अतीक अहमद द्वारा गजट प्रेस 126 टी/22 'ए' रामलाल का तालाब, जूही, कानपुर–14से मुद्रित एवं मिथलेश कुमार मिश्रा द्वारा कम्प्यूटराइज्ड करा कर 9/1 पीली कालोनी, जूही, कानपुर–208014 से प्रकाशित किया गया।